

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(2)नविवि/2021


जयपुर दिनांक: 24 FEB 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को परतापुर-गुढी (जिला-बाँसवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नालिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष-2036 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	NAME OF REVENUE VILAGE
1.	गढी	GARHI
2.	परतापुर	PARTAPUR
3.	मोरडी	MORDI
4.	नवापादर	NAWAPADAR
5.	भगोरा	BHAGORA
6.	बेडवा (हातोरी नाला के दक्षिण दिशा का भाग)	BEDWA (SOUTHERN PART OF EXISTING HATORI NALA)
7.	पाडलिया की ढाणी	PADLIYA KI DHANI
8.	हिमता की ढाणी	HIMTA KI DHANI
9.	मदरूप की ढाणी	MADROOP KI DHANI
10.	किशना की ढाणी	KISHNA KI DHANI
11.	नवांगाव	NAWAGAON

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परतापुर-गुढी (जिला बाँसवाड़ा)।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालयी।

11  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय